

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी:- दीपक मित्तल (आर0ए0एस0)

उनवान

- 1- श्री शंकर लाल पिता श्री नारायण गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 2- श्री रामेश्वर लाल पिता श्री नारायण गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 3- श्री गोपाल लाल पिता श्री नारायण गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 4- श्री भगवान लाल पिता श्री नारायण गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 5- श्रीमती सायरी पत्नि श्री नारायण गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

-वादीगण

बनाम

- 1- श्री राधाकिशन मुतबन्ना फत्ता निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 2- श्री देबीलाल पुत्र श्री राधाकिशन निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 3- हगामी पुत्र श्री राधाकिशन गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 4- सजनी देवी पत्नी श्री राधाकिशन गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 5- श्री राधाकिशन पत्रु श्री केसा गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
- 6- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा-53 आटीए

मुकदमा नम्बर :-18/2017 (07/2020)

वदीगण की और से श्री शंभूदास वैष्णव अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 की और से अमित कोठार अधिवक्ता की उपस्थिति एवं पक्षकारान की उपस्थिति में इस प्रकरण में अन्तर्गत राजीनाम प्रस्तुत किया गया जिस अनुसार आराजी संख्या 765 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुवारडी को वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी संख्या 764 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा को प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 के नाम दर्ज की जावे तथा अराजी संख्या 763 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा को प्रतिवादी राधिकिशन पुत्र श्री फता गुर्जर एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 के नाम दर्ज की जाने की डिक्री की जाती है ।

आराजी संख्या 238/1 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में से पूर्व की तरफ 1/2 हक व हिस्सा वादीगण के हक व हिस्से में तथा शेष 1/2 हिस्सा पश्चिमी दिशा की और प्रतिवादी राधाकिशन पुत्र श्री फता गुर्जर एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 के हक व हिस्से में रखी जाती है तथा आराजी संख्या 759 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0आ0चा0 के बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा कोई राजीनाम प्रस्तुत नहीं किये जाने से इस हद तक वादपत्र खारित किया जाने की डिक्री की जाती है । खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें ।

यह आज तारीख 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर हमीरगढ